मध्य प्रदेश शासन
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal–462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2018/15878 **DATE : 03-02-2018**

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः—हज—2018. हज यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स चयन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने का कष्ट करें।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इण्डिया के निर्णय एवं निर्देशानुसार हज—2018 के हज यात्रियों को हज संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के लिए ट्रेनर्स का चयन किया जाना है। इच्छुक आवेदकों हेतु अनिवार्यताऐंः—हज किया हुआ होना, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना, स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान होना, हज एवं उमरा का ज्ञान होना, शारिरिक एवं मान्सिक रूप से स्वस्थ्य होना, भारी समूह को संबोधित करने एवं भाषण देने योग्य होना, कम्प्यूटर से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना एवं धार्मिक रीतियों की जानकारी रखते हों, उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो यदि ऐसे योग्य आवेदक जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक होगी उनको भी छूट दी जा सकती है। आवेदक हज संबंधी ट्रेनिंग कार्यक्रमों के लिए समय दे सकता हो, इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज न हो। असिस्टेन्ट हज आफीसर, हज असिस्टेन्ट मेडीकल आफीसर एवं खादिमुल हुज्जाज हज संबंधी समस्त प्रकार का अनुभव हो प्राथमिकता दी जावेगी।

उपरोक्त अहार्ताऐं पूर्ण करने वाली महिला आवेदक भी आवेदन कर सकती हैं।

चयनित आवेदकों को मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, भोपाल द्वारा भोपाल में ट्रेनिंग प्रदान की जावेगी जिसके पश्चात चयनित ट्रेनर्स को ज़िला स्तर पर हज यात्रियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना होगी।

इच्छुक आवेदक जो चयन की अहार्ताएं पूर्ण करते हों वह हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दिनांक 15—02—2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के पश्चात आवेदन की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज़ों के साथ कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस, ग्राम सिंगारचोली, गुलमोहर गार्डन के पीछे, एयरपोर्ट रोड, भोपाल पर दिनांक 21—02—2018 तक जमा करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त होने की सूचना नहीं दी जावेगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाला आवेदन के आवेदक प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवश्यकता हुई तो आवेदकों की हज, अंग्रेज़ी, उर्दू एवं अरबी से सम्बंधित परीक्षा ली जावेगी।

(दाऊद अहमद खान)
सचिव
एवं कार्यपालन अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी